

## AI के संबंध में यूरोपीय संघ का ऐतिहासिक कानून

### प्रलिस के लिये:

यूरोपीय संघ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फेशियल रकिगनशिन टेक्नोलॉजी, जेनरेटिव एआई, सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी

### मेन्स के लिये:

AI वनियमन के लिये वभिन्न वैश्विक दृष्टिकोण, AI वनियमन के लिये यूरोपीय संघ फ्रेमवर्क के प्रमुख घटक, AI वनियमन के संबंध में भारत की रणनीति

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [यूरोपीय संघ](#) (EU), [कृत्रिम बुद्धिमत्ता](#) (AI) के उपयोग को पूर्ण रूप से वनियमित करने के उद्देश्य से व्यापक कानून बनाने वाला पहला महाद्वीपीय राष्ट्र बन गया है।

- यूरोपीय संघ की प्रस्तावित रूपरेखा पर वर्ष 2024 की शुरुआत में संसदीय मतदान किया जाएगा, जो संभावित रूप से वर्ष 2025 तक लागू हो जाएगी।

### AI वनियमन के लिये यूरोपीय संघ (EU) फ्रेमवर्क के प्रमुख घटक क्या हैं?

- सुरक्षा उपाय संबंधी कानून:**
  - उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण:** यह व्यक्तियों को AI के कथित उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करने में सक्षम बनाएगा, साथ ही, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा AI के उपयोग को लेकर स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।
  - AI पर सख्त सीमाएँ: फेशियल रकिगनशिन टेक्नोलॉजी** और मानव व्यवहार में AI परचालन को लेकर सख्त प्रतिबंध।
  - उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान:** नयियों का उल्लंघन करते पाए जाने वाली कंपनियों के लिये कड़े दंड का प्रावधान।
  - सीमाति बायोमेट्रिक निगरानी:** इसमें सरकारों को केवल आतंकवादी हमलों जैसे गंभीर खतरों के मामलों में सार्वजनिक क्षेत्रों में रयिल टाइम बायोमेट्रिक निगरानी के उपयोग करने की अनुमति की बात की गई है।
- AI अनुप्रयोगों का वर्गीकरण:**
  - चार जोखिमि वर्ग:** AI अनुप्रयोगों को उनके जोखिमि के स्तर और आक्रामकता के आधार पर चार जोखिमि श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
  - प्रतिबंधित अनुप्रयोग:** वृहत पैमाने पर फेशियल रकिगनशिन और व्यवहार नयितरण के लिये AI अनुप्रयोगों को बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, **सविय क उनका उपयोग कानून प्रवर्तन के लिये न किया जा रहा हो**।
  - उच्च जोखिमि वाले अनुप्रयोग:** इसे सेल्फ-ड्राइविंग ऑटोमोबाइल के लिये AI टूल सहित पारदर्शी बैकएंड तकनीकों के लिये प्रमाणन और प्रावधानों के साथ अनुमोदित किया गया है।
  - मध्यम स्तर के जोखिमि वाले एप्लीकेशन बना कसिी प्रतिबंध के लॉन्च किये जा सकते हैं,** जैसे जेनरेटिव एआई का उपयोग करने वाले चैटबॉट, जसिमें AI इंटरैक्शन, पारदर्शिता की अनविर्यता एवं वसितृत तकनीकी दस्तावेजीकरण के बारे में उपयोगकर्त्ताओं द्वारा स्पष्ट प्रकटीकरण प्रदान किया गया हो।
- नयिमन संबंधी यूरोपीय संघ की अन्य उपलब्धियाँ:**
  - सामान्य डेटा संरक्षण वनियमन** (General Data Protection Regulation- GDPR) **कार्यान्वयन:** डेटा प्रोसेसिंग के लिये गोपनीयता और स्पष्ट सहमतिको ध्यान में रखते हुए इसे मई 2018 से लागू किया गया है।
    - उप-कानून: **DSA** और **DMA**:
      - डजिटल सेवा अधनियम (DSA):** यह नफरती भाषण, नकली सामानों के क्रय-वक्रिय को वनियमित करने पर केंद्रित है।
      - डजिटल बाज़ार अधनियम (DMA):** यह "प्रमुख सुरक्षाकर्त्ता" प्लेटफॉर्मों की पहचान करने और गैर-प्रतस्पर्द्धी प्रथाओं एवं प्रभुत्व के दुरुपयोग जैसे समाधानों से संबंधित है।

## AI वनियमन के लिये वैश्विक स्तर पर वभिन्न रणनीतियाँ क्या हैं?

- **EU:** सख्त रुख, आक्रामकता और जोखिम के आधार पर AI का वर्गीकरण।
- **यूनाइटेड किंगडम:** AI में नवाचार को बढ़ावा देने वाला 'लाइट-टच' दृष्टिकोण।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** यहाँ के नयिम सख्त वनियमन और नवाचार समर्थन के बीच स्थिति है।
- **चीन:** अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसने AI वनियमन के लिये अपने स्वयं के उपाय लागू किये हैं।

## AI वनियमन के संबंध में भारत की क्या रणनीति है?

- **भारत का रुख:**
  - भारत के पास अभी भी AI वनियमन को लेकर एक व्यापक ढाँचा नहीं है। हालाँकि भारत इसके वनियमन पर वचार के रुख के स्थान पर **जोखिम-आधारित, उपयोगकर्ता-नुकसान दृष्टिकोण के आधार पर सक्रिय रूप से नयिम तैयार कर रहा है।**
- **समावेशी और उत्तरदायित्वपूर्व AI को प्रोत्साहन:**
  - #AIFORALL समावेशिता पर केंद्रित भारत की प्रारंभिक राष्ट्रीय AI रणनीति है, इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।
  - AI के लिये नीति आयोग की राष्ट्रीय रणनीति (2018) में उत्तरदायित्वपूर्व AI के संबंध में एक अध्याय शामिल है।
    - वर्ष 2021 में नीति आयोग ने 'उत्तरदायित्वपूर्व AI का सिद्धांत' नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें AI संबंधी सात व्यापक सिद्धांतों की गणना की गई: समानता, सुरक्षा और विश्वसनीयता, समावेशिता तथा गैर-भेदभाव, पारदर्शिता, जवाबदेही, गोपनीयता एवं सकारात्मक मानव मूल्यों का सुदृढीकरण।
  - मार्च 2023 में **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने AI पर राष्ट्रीय कार्यक्रम **IndiaAI** की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य AI से संबंधित सभी अनुसंधान एवं नवाचारों को शामिल करने हेतु एक व्यापक पहल के रूप में कार्य करना है।
  - जुलाई 2023 में **भारतीय दूरसंचार नयिमक प्राधिकरण** ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें **"जोखिम-आधारित ढाँचे"** के आधार पर AI को वनियमित करने के लिये एक घरेलू वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करने एवं कई सरकारी वभागों, विशेषज्ञ सदस्यों वाले एक सलाहकार निकाय के गठन की सिफारिश की गई थी।

## भारत में प्रमुख क्षेत्र-वशिष्ट AI फ्रेमवर्क:

- **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र:**
  - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जून 2023 में बायोमेडिकल अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में AI के अनुप्रयोग के संबंध में नैतिक दिशा-निर्देश जारी किये।
- **पूंजी बाजार:**
  - SEBI ने नीतियों का मार्गदर्शन करने और **पूंजी बाजार में AI प्रणाली के लिये एक सूची तैयार करने हेतु** जनवरी 2019 में एक परिपत्र जारी किया था।
- **शिक्षा क्षेत्र:**
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** में स्कूली पाठ्यक्रमों में AI संबंधी जागरूकता को एकीकृत करने की सिफारिश की गई है।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी (GPAI):

- यह **28 देशों और यूरोपीय संघ का एक मंच** है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी चुनौतियों और अवसरों को समझने तथा इसके उत्तरदायित्वपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिये एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं।
  - वर्ष **2020 में भारत इसके संस्थापक सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ।**
  - नवंबर 2022 में भारत को प्रथम वरीयता के दो-तर्हिई से अधिक वोट मिले और उसे GPAI की इनकमिंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत वर्ष 2022-23 में आगामी सहायक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है। भारत 12 दिसंबर, 2023 को वर्ष 2023-24 के लिये लीड चेयर के रूप में कार्यभार संभाल रहा है और वर्ष 2024-25 में आउटगोइंग सपोर्ट चेयर के रूप में कार्य करेगा।
  - चीन GPAI का सदस्य नहीं है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) नमिनलखिति में से कसि कार्य को प्रभावी रूप से कर

## सकती है? (2020)

1. औद्योगिक इकाइयों में वदियुत की खपत कम करना
2. सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना
3. रोगों का नदिन
4. टेक्स्ट-से-स्पीच (Text-to-Speech) में परविरतन
5. वदियुत ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दधि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 5
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/eu-s-landmark-ai-legislation>

